बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2440 /पटना, दिनांक :– 30/12/2020

लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद संख्या–1/लोक(ग्रा0 कार्य वि0) 32/2010 में माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य प्रमंडल–2, बक्सर अन्तर्गत पदस्थापन काल में चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य, राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य एवं चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य में अनियमितता के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1133 अनु0 दिनांक 05.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पूछ कर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रथम योजना (चौसा लाईन नहर से बन्नी बाजार तक पथ मरम्मति कार्य) से संबंधित दो आरोप गठित है, जो पथ के ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 की मोटाई प्रावधानित मोटाई से 15.55 m.m. कम पाये जाने एवं पथ के Shoulder एवं Slope में कम मिट्टी का कार्य कराकर अधिक मिट्टी कार्य का भुगतान किये जाने से संबंधित है। दूसरे योजना (राजपुर प्रखंड में बावन बाँध पुल निर्माण कार्य) से संबंधित तीन आरोप गठित है, जो Foundation की प्रावधानिक मुटाई को कम कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर उसकी भरपाई करने की हेरा–फेरी करने, पुल के abutment में प्रयुक्त Cement plaster की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाये जाने एवं पुल के दोनों तरफ बने पहुँच पथ में प्रयुक्त Cement concrete की गुणवत्ता प्रावधान के अनुरूप नहीं पाये जाने से संबंधित है। तीसरी योजना (चौसा प्रखंड में बहादुरपुर कब्रिस्तान के घेराबंदी कार्य) से संबंधित एक आरोप गठित किये गये, जो चहारदीवारी के stiffner एवं plaster के कार्य में कम सिमेंट का प्रयोग कर खराब गुणवत्ता का कार्य कराये जाने से संबंधित है।

3. श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त आरोपों पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1135 अनु0 दिनांक 05.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता–3 को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता–3 का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री रामजी चौधरी के स्थान पर संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को नामित किया गया।

5. श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 827 अनु0 दिनांक 14.02.2017 के माध्यम से श्री गुप्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने श्री गुप्ता द्वारा अपना बचाव बयान समर्पित नहीं किये जाने के आधार पर उन्हें दोषी माना गया।

6. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक 862 अनु0 दिनांक 18.04.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान 08.05.2018 में उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष बिहार से बाहर चिकित्सा हेतु रहने के कारण प्रस्तुत नहीं हो सका। चिकित्सा के क्रम में उन्हें जब भी सुनवाई हेतु पत्र प्राप्त हुआ तो उनके द्वारा पत्र के माध्यम से बीमार होने की सुचना भेजी गयी है। एक सुनवाई में वे उपस्थित हुए, परन्तु उन्हें आरोप की प्रति नहीं दी गयी। बिना प्रपत्र 'क' के आरापों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता था। प्रपत्र 'क' की प्रति उन्हें विलंब से प्राप्त हुई।

8. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री गुप्ता को संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 4723 दिनांक 08.07.2016, पत्रांक 5186 दिनांक 29.07.2016 एवं पत्रांक 7455 दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निदेश दिया गया। श्री गुप्ता दिनांक 28.12.2016 को होने वाली सुनवाई में उपस्थित हुए, जिसमें श्री गुप्ता को सभी कागजात उपलब्ध करा दी गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 395 दिनांक 23.01.2017 द्वारा श्री गुप्ता को सुनवाई की अगली तिथि 30.01.2017 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा श्री गुप्ता द्वारा याचित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की छायाप्रति भी भेजी गयी, परन्तु श्री गुप्ता उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 541 दिनांक 30.01.2017 द्वारा श्री गुप्ता को पुनः सुनवाई में उपस्थित होने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री गुप्ता उक्त तिथि को उपस्थित नहीं हुए और न ही अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त दिनांक 26.04.2017 को उनके समक्ष अपना बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसपर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। स्पष्ट है कि श्री गुप्ता द्वारा जानबुझकर टाल–मटोल की नीति अपनाकर अपना बचाव बयान संचालन पदाधिकारी के समक्ष ससमय समर्पित नहीं किया गया। श्री गुप्ता द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, जिससे यह माना गया कि उन्हें आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है। अतः श्री गुप्ता का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

9. उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता को एक अन्य मामले में अधिसूचना सं0–1799 दिनांक 03.12.2020 द्वारा पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 50 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति संसूचित की गयी है।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री गुप्ता के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें उक्त कंडिका 9 में अधिसूचना सं0–1799 दिनांक 03.12.2020 द्वारा संसूचित दंड के अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत पेंशन से अगले 5 वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. श्री गुप्ता के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1001 अनु0 दिनांक 28.05.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1496 दिनांक 23.09.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, पताः–मो0–विजयनगर, रोड नं0–5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–14 के विरूद्ध अधिसूचना सं0–1799 दिनांक 03.12.2020 द्वारा संसूचित दंड के अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत **पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 (दस) प्रतिशत की मासिक कटौती** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/12/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2461 /पटना, दिनांक :– 30·12·2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2461 /पटना, दिनांक :– 30·12·2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्रैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2461 /पटना, दिनांक :– 30·12·2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1496 दिनांक 23.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–4–125/2015(खण्ड) 2461 /पटना, दिनांक :– 30·12·2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा/आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास/कार्य प्रमंडल–2, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री मदन मोहन प्रसाद गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास, पता:–मो0–विजयनगर, रोड नं0–5, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना–14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2020

अपर सचिव